

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एस-203/2018/

दिनांक:

-:आदेश:-

श्री सुशील वर्मा, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिलवालाखुर्द हनुमानगढ़ का दिनांक 30.06.2018 से 25.07.2018 तक कुल 26 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एस-203/2018/22

दिनांक: 09/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 12118--119 दिनांक 23.10.2018 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में करना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर